



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1529]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2019/वैशाख 20, 1941

No. 1529]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2019/VAISAKHA 20, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

आयकर

का.आ. 1721(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्दिष्ट करती है कि विदेशी कंपनी अर्थात् मैसर्स रोल्स-रोयस डिफेंस सर्विसेज, ईक, 2001, साउथ टिब्स एवेन्यु, इंडियाना पॉलिस, इंडियाना 46206, संयुक्त राज्य अमेरिका से मैसर्स रोल्स-रोयस डिफेंस सर्विसेज, ईक तथा सेंटर फॉर एयर बॉर्न सिस्टम्स, डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय के बीच किए गए दिनांक 24 फरवरी, 2014 के मिशन रेडी मेनेजमेंट सोल्यूशन्स एग्रीमेंट (एमआरएमएस) संख्या सीएवीएस/एफपीओ/2013-0014/एलजीएस के अनुसरण में प्राप्त की गई रॉयल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में होने वाली किसी आय को 27,36,276.11 यूएसडी की सीमा तक उक्त विदेशी कंपनी की कुल आय की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

[अधिसूचना सं./39 / 2019/फा. सं. 200/53/2015-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव